न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 162/2016

उनवान

देवा पुत्र हजारी जाति रेगर निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामेश्वरी पत्नी राजू,
2. लेखराज,
3. मोहन,
4. गणपत,
5. इन्द्रा पि0 राजू,
5. मंजू पुत्री नानू जाति रेगर नि0 बनेवडा, नसीराबाद,
6. उप पंजीयक नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– 8 व 9 जरियें राज0 पैरोकार
प्रतिवादी संख्या 1 से 7

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 29/5/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा के वंर्किग खसरा नम्बर 945 रकबा 0–10–0 हाल खसरा नम्बर 1583/2772 के खातेदार राजू पुत्र मांगू जाति रेगर ने उक्त आराजी में अपना हिस्सा व नानू की विरासत से प्राप्त सम्पूर्ण हिस्सा देवा पुत्र हजारी को दिनांक 09.07.22 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया क्रय दिनांक से ही उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1583/2772 बने है। आराजी मुतनाजा वंकिग व हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दज्र करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण प्रतिवादीगण उकत आराजी पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावें प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद तामीली प्रकरण में अनपुरिथत रहे।

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा है ?

–– वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

–– वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में विकय पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 945 रकबा 0–14–0 नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 21.6.85 को नानू व राजू पि0 मांगू के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुआ। तथा नामान्तकरण संख्या 85/26.8.98 से खातेदारी दर्ज हुयी। दिनांक 9.7.02 को राजू पुत्र मांगू ने उक्त आराजी में 0–10–0 भूमि का सम्पूर्ण हिस्से वादी को जरियें पंजीकत विकय पत्र बैचान कर दिया। उक्त विकय पत्र में राजू ने नानू के स्वर्गवास के बाद विरासत से प्राप्त उसका हिस्सा भी बैचान किया है। वंर्किग खसरा नम्बर 945 के हाल खसरा नम्बर 1583/2772 रकबा 0.11 नानू व राजू पि0 मांगू के नाम दर्ज है। हाल जमाबंदी में नानू की विरासत नामान्तकरण संख्या 572 दिनांक 15.6.16 द्वारा प्रेम पत्नी नानू व मंजू पुत्री नानू के नाम दर्ज की गयी। इससे स्पष्ट है कि नानू का वारिस उसका भाई राजू नही था। फिर भी उसके द्वारा सम्पूर्ण हिस्से का बैचान किया गया जबकि राजू का उक्त आराजी पर 1/2 हिस्सा ही बनता है। उक्त विकय पत्र पंजीकृत है। जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादी आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से का विधिक केता सिद्व होता है। तनकी आंशिक रूप से बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा वादी ने कय किया था। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा का पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी के नाम दर्ज है। जबकि विकय पत्र अनुसार राजू का हिस्सा वादी के नाम दर्ज करना चाहिये था। केता ने प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया था। विकेता के खातेदारी अधिकार का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा वादी प्रापत करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 1583/2772 रकबा 0.11 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर विकय पत्र

––3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दराम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

देवा बनाम रामेश्वरी

दावा बाबत :– 88, 188राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 162/2016
पेश करने की दिनांक – 29.09.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक, राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

उक्तानुसार ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 1583/2772 रक़बा 0.11 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर विक्रय पत्र अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दराम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner